"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई, 2003—श्रावण 3, शक 1925

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

प्रारूप-चार

[नियम 5-1 देखिये]

[छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम (1) देखिये]

अग्रसेन एजूकेशन ट्रस्ट वैशाली नगर, भिलाई.

क्रमांक 1087/प्र.अ.वि.अ./03.— चूंकि मुख्य प्रबंध ट्रस्टी न्यास अग्रसेन एजूकेशन ट्रस्ट, वैशाली नगर भिलाई, तहसील दुर्ग ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951, 1951 का 30 की धारा 6 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गई न्यास पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 7 जुलाई को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो तो सूचना उसके लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, एस. आर. बांधे, पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 7 जुलाई 2003 को उक्त अधिनियम की धारा 5बी उपधारा (1) के आधार तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित सूचना प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्ति स्वत: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम	:	अग्रसेन एजूकेशन ट्रस्ट वैशाली नगर, भिलाई.
2.	लोक न्यास की संपत्ति	:	निरंक

एस. आर. बांधे,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.